सत्यमेव जयते
NITI Aayog

• निकोबार • उत्तर एवं मध्य अंडमान • दक्षिण अंडमान • श्रीकाकुलम • **विजयनगरम** • **विशाखापट्नम** • पूर्व गोदावरी • पश्चिम गोदावरी • कृष्णा • गुंटूर • प्रकाशम • श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर • **कडपा** • कर्नूल • अनंतपुर • चित्तूर • तवांग • वेस्ट कामेंग • ईस्ट कामेंग • पपुमपारे • उपरी सुबनसिरी • वेस्ट सियांग • ईस्ट सियांग • उपरी सियांग • चांगलांग • तिरप • निचली सुबनसिरी • कुरुंग कुमे • दिबांग घाटी • निचली दिबांग घाटी • लोहित • अंजॉ • करा दादी • **नामसाई** • लांगडींग • ईटानगर • कोकराझार • **धुबरी** • **गोवालपाड़ा** • **बारपेटा** • मोरीगांव • नगाँव • शोणितपुर • लखीमपुर • धेमाजी • तिनसुकिया • डिब्रुगढ़ • शिवसागर • जोरहाट • गोलाघाट • दिमा हसाओ • कछर • करीमगंज • **हैलाकांडी** • बोंगईगांव • चिरांग • कामरूप • कामरूप महानगर • नलबाड़ी • **बक्सा** • **दारांग** • **उदलगुड़ी** • साउथ सलमारा–मनकाचर • कार्बी आंगलोंग ईस्ट • कार्बी आंगलोंग वेस्ट • बिश्वनाथ • माजुली • चराइदेओ • होजाइ • पश्चिम चंपारण • पूर्व चंपारण • शिवहर • **सीतामढ़ी** • मधुबनी • सुपौल • **अररिया** • किशनगंज • **पूर्णियाँ** • **कटिहार** • मधेपुरा • सहरसा • दरभंगा • **मुजफ्फरपुर** • गोपालगंज • सिवान • सारन • वैशाली • समस्तीपुर • **बेगूसराय** • **खगड़िया** • भागलपुर • **बाँका** • मुंगेर • लखीसराय • **शेखपुरा** • नालंदा • पटना • भोजपुर • बक्सर • कैमूर (भबुआ) • रोहतास • **औरंगाबाद** • **गया** • **नवादा** • **जमुई** • जहानाबाद • अरवल • चंडीगढ़ • कोरिया • सरगुजा • जशपुर • रायगढ़ • **कोरबा** • जांजगीर–चंपा • बिलासपुर • कबीरधाम • **राजनाँदगाँव** • दुर्ग • रायपुर • **महासमुंद** • धमतरी • **उत्तर बस्तर कांकेर** • **बस्तर** • **नारायणपुर** • **दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा** • **बीजापुर** • **सुकमा** • बालोद • गरियाबंद • बलरामपुर • बलौदा बाजार • मुंगेली • बेमेतरा • **कोंडागाँव** • सूरजपुर • दादरा एंड नगर हवेली • दीव • दमन • नाथ गोवा • साउथ गोवा • कच्छ • बनासकाँठा • पाटण • मेहसाणा • साबरकाँठा • गांधीनगर • अहमदाबाद • सुरेंद्रनगर • राजकोट • जामनगर • पोरबंदर • जूनागढ़ • अमरेली • भावनगर • आनंद • खेड़ा • पंच महल • **दाहोद** • वडोदरा • **नर्मदा** • भरुच • नवसारी • द डांग • वलसाड • सूरत • तापी • छोटा उदयपुर • बोटाद • गिर सोमनाथ • महिसागर • देवभूमि द्वारका • मोरबी • अरावली • पंचकुला • अंबाला • यमुनानगर • कुरुक्षेत्र • कैथल • करनाल • पानीपत • सोनीपत • जिंद • फतेहाबाद • सिरसा • हिसार • भिवानी • रोहतक • झज्जर • महेंद्रगढ़ • रेवाड़ी • गुरुग्राम • **मेवात** • फरीदाबाद • पलवल • दादरी • **चंबा** • काँगड़ा • लाहौल और स्पीति • कुल्लू • मंडी • हमीरपुर • उना • बिलासपुर • सोलन • सिरमौर • शिमला • किन्नौर • **कुपवाड़ा** • बड़गाम • लेह (लद्दाख) • कारगिल • पुंछ • राजौरी • कठुआ • **बारामुल्ला** • बांदीपोर • श्रीनगर • गांदरबल • पुलवामा • शोपियाँ • अनंतनाग • कुलगाम • डोडा • रामबन • किश्तवाड़ • उधमपुर • रियासी • जम्मू • सांबा • **गढ़वा** • **चतरा** • कोडरमा • **गिरीडीह** • देवघर • **गोड्डा** • **साहेबगंज** • **पाकुर** • धनबाद • **बोकारो** • **लोहरदगा** • **पूर्वी सिंहभूम** • **पलामू** • **लातेहार** • **हजारीबाग** • **रामगढ़** • **दुमका** • जामतारा • **राँची** • **खूँटी** • **गुमला** • **सिमडेगा** • **पश्चिमी सिंहभूम** • सेराइकेला–खरसावाँ • बेलगाम • बागलकोट • बीजापुर • बीदर • **रायचूर** • कोप्पल • गदग • धारवाड़ • उत्तर कन्नड़ • हावेरी • बेल्लारी • चित्रदुर्ग • दावणगेरे • शिमोगा • उडुपी • चिकमगलूर • तुमकुर • बैंगलोर • मांड्या • हासन • दक्षिण कन्नड़ • कोडागु • मैसूर • चामराजानगर • गुलबर्गा • **यादगीर** • कोलार • चिक्कबल्लापुरा • बैंगलोर ग्रामीण • रामनगर • कासरगोड • कण्णूर • **वायनाड** • कोझीकोड • मलप्पुरम • पालक्काड • त्रिशूर • एर्नाकुलम • इडुक्की • कोट्टायम • अलप्पुझा • पत्तनमतिट्टा • कोल्लम • तिरुवनंतपुरम • लक्षद्वीप • श्योपुर • मोरेना • भिंड • ग्वालियर • दतिया • शिवपुरी • टीकमगढ़ • **छतरपुर** • पन्ना • सागर • **दमोह** • सतना • रेवा • उमरिया • नीमच • मंदसौर • रतलाम • उज्जैन • शाजापुर • देवास • धार • इंदौर • खरगौन (वेस्ट नीमर) • **बड़वानी** • **राजगढ़** • **विदिशा** • भोपाल • सीहोर • रायसेन • बैतूल • हरदा • होशंगाबाद • कटनी • जबलपुर • नरसिंहपुर • डिंडोरी • मंडला • छिंदवाड़ा • सिवनी • बालाघाट • **गुना** • अशोकनगर • शहडोल • अनूपपुर • सीधी • **सिंगरौली** • झाबुआ • अलीराजपुर • **खंडवा (ईस्ट नीमर)** • बुरहानपुर • आगर • **नंदुरबार** • धुले • जलगांव • बुलढाणा • अकोला • **वाशिम** • अमरावती • वर्धा • नागपुर • भंडारा • गोंदिया • **गडचिरोली** • चंद्रपुर • यवतमाल • नांदेड़ • हिंगोली • परभणी • जालना • औरंगाबाद • नाशिक • ठाणे • मुंबई सबअर्बन • मुंबई • रायगढ़ • पुणे • अहमदनगर • बीड • लातूर • **ओस्मानाबाद** • सोलापुर • सतारा • रत्नागिरी • सिंधुदुर्ग • कोल्हापुर • सांगली • पालघर • सेनापति • तामेंगलोंग • चुराचांदपुर • बिष्णुपुर • थौबल • इम्फाल वेस्ट • इम्फाल ईस्ट • उखरुल • **चंडेल** • नोनी • जिरीबाम • फरजाल • तेंगनूपाल • ककचिंग• कांगपोकपि • कमजोंग • वेस्ट गारो हिल्स • ईस्ट गारो हिल्स • साउथ गारो हिल्स • वेस्ट खासी हिल्स • **री भोई** • ईस्ट खासी हिल्स • ईस्ट जयंतिया हिल्स • नॉर्थ गारो हिल्स • साउथ वेस्ट गारो हिल्स • साउथ वेस्ट खासी हिल्स • वेस्ट जयंतिया हिल्स • **ममित** • कोलासिब • आइजॉल • चम्फाई • सेरछिप • लुंगलेई • लॉन्गतलाई • सइहा • मोन • मोकोकचुंग • जुन्हेबोटो • वोखा • दीमापुर • फेक • तुएनसांग • लोंगलेंग • **कैफाइर** • कोहिमा • पेरेन • उत्तर पश्चिम दिल्ली • उत्तर दिल्ली • उत्तर पूर्व दिल्ली • पूर्व दिल्ली • नई दिल्ली • सेंट्रल दिल्ली • वेस्ट दिल्ली • दक्षिण पश्चिम दिल्ली • दक्षिण दिल्ली • दक्षिण पूर्व दिल्ली • शाहदरा • बरगढ़ • झारसुगुड़ा • संबलपुर • देबगढ़ • सुंद. रगढ़ • केंदूझर • मयूरभंज • बालेश्वर • भद्रक • केंद्रपारा • जगतसिंहपुर • कटक • जाजपुर • **ढेंकानाल** • अंगुल • नयागढ़ • खोर्धा • पुरी • गंजाम • **गजपति** • **कंधमाल** • बौध • सुबर्णपुर • **बलांगीर** • **नुआपाड़ा** • **कालाहांडी** • **रायगड़ा** • **नबरंगपुर** • **कोरापुट** • **मलकानगिरी** • यनम • पुदुचेरी • माहे • कराईकल • गुरदासपुर • कपूरथला • जालंधर • होशिया. रपुर • शहीद भगत सिंह नगर • फतेहगढ़ साहिब • लुधियाना • **मोगा** • **फिरोजपुर** • मुक्तसर • फरीदकोट • बठिंडा • मानसा • पटियाला • अमृतसर • तरण तारण • रूपनगर • साहिबजादा अजीत सिंह नगर • संगरूर • बरनाला • फाजिलका • पठानकोट • गंगानगर • हनुमानगढ़ • बीकानेर • चूरू • झुंझुनू • अलवर • भरतपुर • **धौलपुर** • **करौली** • सवई माधोपुर • दौसा • जयपुर • सीकर • नागौर • जोधपुर • **जैसलमेर** • बाड़मेर • जालोर • **सिरोही** • पाली • अजमेर • टोंक • बूंदी • भीलवाड़ा • राजसमंद • डूंगरपुर • बाँसवाड़ा • चित्तौरगढ़ • कोटा • **बारां** • झालावाड़ • उदयपुर • प्रतापगढ़ • उत्तर सिक्किम ज़िला • **पश्चिम सिक्किम ज़िला** • दक्षिण सिक्किम ज़िला • पूर्व सिक्किम ज़िला • तिरुवल्लुर • चेन्नई • काँचीपुरम • वेल्लोर • तिरुवन्नामलाई • विल्लुपुरम • सालेम • नमक्कल • इरोड • द नीलगिरि • डिंडीगुल • करूर • तिरूचिराप्पल्ली • पेरंबलूर • अरियालुर • कडलूर • नागपट्टिनम • तिरुवरुर • तंजावूर • पुदुकोटै • शिवगंगा • मदुरै • तेनी • **विरुधुनगर** • **रामनाथपुरम** • तूतूकुड़ी• तिरुनेलवेली • कन्याकुमारी • धर्मपुरी • कृष्णागिरी • कोइम्बटोर • तिरुपुर• आदिलाबाद • निजामाबाद • करीमनगर • मेडक • हैदराबाद • रंगारेड्डी • महबूबनगर • नलगोंडा • वारंगल रूरल • **खम्मम** • निर्मल • **जयशंकर भूपालापल्ली** • भद्राद्रि कोठागुडेम • नगरकुरनूल • सिद्दिपेट • सूर्यापेट • **कुमुरम भीम (असिफाबाद)** • जागतियाल • पेड्डापल्ले • जंगाँव • महबूबाबाद • जोगुलाम्बा गडवाल • संगरेड्डी • यदाद्रि भुवनगिरि • कामारेड्डी • मेडचल–मलकाजगिरी • वनापार्थी • राजांना सिर्सिल्ला • विकाराबाद • मानचेरियल • वारंगल अर्बन • पश्चिम त्रिपुरा • दक्षिण त्रिपुरा • **धलाई** • उत्तर त्रिपुरा • गोमती • सिपाहीजला • उनाकोटी • खोवई • सहारनपुर • मुजफ्फरनगर • बिजनौर • मुरादाबाद • रामपुर • अमरोहा • मेरठ • बागपत • गाजियाबाद • गौतम बुद्ध नगर • बुलंदशहर • अलीगढ़ • हाथरस • मथुरा • आगरा • फिरोजाबाद • मैनपुरी • बदायूँ • बरेली • पीलीभीत • शाहजहाँपुर • लखीमपुर–खेरी • सीतापुर • हरदोई • उन्नाव • लखनऊ • रायबरेली • फर्रुखाबाद • कन्नौज • इटावा • औरैया • कानपुर देहात • कानपुर नगर • जालौन • झाँसी • ललितपुर • हमीरपुर • महोबा • बाँदा • **चित्रकूट** • **फतेहपुर** • प्रतापगढ़ • कौशांबी • इलाहाबाद • बाराबंकी • फैज़ाबाद • अंबेडकर नगर • सुल्तानपुर • **बहराइच** • **श्रावस्ती** • **बलरामपुर** • गोंडा • **सिद्धार्थनगर** • बस्ती • संत कबीर नगर • महराजगंज • गोरखपुर • कुशीनगर • देवरिया • आजमगढ़ • मऊ • बलिया • जौनपुर • गाज़ीपुर • **चंदौली** • वाराणसी • संत रविदास नगर (भदोही) • मिर्ज़ापुर • **सोनभद्र** • एटा • कासगंज • हापुड़ • शामली • संभल • अमेठी • उत्तरकाशी • चमोली • रुद्रप्रयाग • टेहरी गढ़वाल • देहरादून • गढ़वाल • पिथौरागढ़ • बागेश्वर • अल्मोड़ा • चंपावत • नैनीताल • **उधम सिंह नगर** • **हरिद्वार** • दार्जीलिंग • जलपाईगुड़ी • कूच बिहार • उत्तर दिनाजपुर • **दक्षिण दिनाजपुर** • **मालदा** • **मुर्शिदाबाद** • **बीरभूम** • **नदिया** • उत्तर 24 परगना • हुगली • बांकुड़ा • पुरुलिया • हावड़ा • कोलकाता • दक्षिण 24 परगना • पश्चिम मेदिनीपुर • पूर्व मेदिनीपुर • पूर्व बर्धमान • अलीपुर दुआर • कालिम्पोंग • झाड़ग्राम • पश्चिम बर्धमान

आकांक्षी ज़िलों का परिवर्तन

2022 का नया भारत

सत्यमेव जयते
NITI Aayog

विषय सूची

आकांक्षी ज़िलों का सुधार	1
कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु	1
मुख्य कार्यनीति	1
कार्यक्रम के लिए संस्थागत प्रबंध	1
ज़िले का चयन	2
संकेतक और कार्य संपादन में सुधार के उपाय	2
संकेतकों मे सुधार के चरण	2
स्वास्थ्य और पोषण	2
शिक्षा	6
आधारभूत सुविधाएं	8
वित्तीय समावेशन	10
कौशल विकास	11
कृषि	13

आकांक्षी ज़िलों का परिवर्तन

2022 का नया भारत

भारतीय अर्थ व्यवस्था उच्च विकास पथ पर अग्रसर है। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार 188 देशों की सूची में यह 131वें स्थान पर था। अपने नागरिकों के जीवन–स्तर को सुधारने की दृष्टि से इसकी उपलब्धि विकास गाथा के अनुरूप नहीं रही है। हालांकि, विभिन्न राज्य इस दृष्टि से विशिष्ट क्षमतावान हैं, फिर भी, उन्हें अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा आदि में सुधार के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राज्यों के अंदर भी बड़े पैमाने पर भिन्नताएं है। कुछ ज़िलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है जबकि कुछ ने कठिनाई का सामना किया है। ऐसे ज़िले जो अर्ध विकसित क्षेत्र में आते है उनकी प्रगति में सुधार के लिए संगठित प्रयास करने की जरुरत है। फलस्वरूप एचडीआई की दृष्टि से देश की रैंकिंग में अत्यधिक वृद्धि होगी और सतत संधारणीय ध्येय (एसडीजी) को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। यह 2022 तक नए भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

कार्यक्रम के तहत ध्यानाकर्षण के प्रमुख क्षेत्र

यह कार्यक्रम जन आंदोलन के दृष्टिकोण को अपनाते हुए ज़िले के समग्र सुधार के लिए है। इसमें सभी ज़िलों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य निष्पादन के निम्नांकित प्रयास किये जायेंगे।

क) स्वास्थ्य और पोषण
ख) शिक्षा
ग) कृषि और जल संसाधन
घ) वित्तीय समावेशन और कौशल विकास
ङ) सड़क, पेयजल की उपलब्धता, ग्रामीण विद्युतीकरण और व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार।

मुख्य कार्य योजना

कार्यक्रम की मुख्य कार्य योजना निम्नानुसार है :

- राज्य मुख्य प्रेरकों की भूमिका निभाएंगे।
- प्रत्येक ज़िले की क्षमता के अनुसार कार्य करना।
- विकास को जन आंदोलन बनाना, समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर युवाओं को शामिल करना।
- सबल पक्षों की पहचान कर बेहतर परिणाम देने वाले क्षेत्रों को चिन्हित करना ताकि वे विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सके।
- प्रतिस्पर्धा की भावना जगाने के लिए प्रगति का आंकलन और ज़िलों की रैंकिंग।
- ज़िले राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने का प्रयास करेंगे।

कार्यक्रम के लिए संस्थागत प्रबंध

- यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें राज्य मुख्य संचालक हैं।
- केन्द्र सरकार के स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन का दायित्व नीति आयोग का रहेगा। इसके अतिरिक्त, अलग–अलग मंत्रालयों को ज़िलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- हर ज़िले के लिए, अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को केन्द्रीय प्रभारी अधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है।
- प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट मुद्दों पर ध्यानाकर्षित करने और स्कीमों पर चर्चा के लिए सीईओ, नीति आयोग की संयोजकता में एक अधिकार–प्राप्त समिति अधिसूचित की गई है।

- इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्यों से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी अनुरोध किया गया है।
- राज्यों में नॉडल अधिकारी/राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी भी मनोनीत किये गए है।

ज़िलों का चयन

पारदर्शी मापदंडों के आधार पर 115 ज़िलों का चयन किया गया है। इन ज़िलों द्वारा अपने नागरिकों की गरीबी, अपेक्षाकृत कमजोर स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा की स्थिति तथा अपर्याप्त आधारभूत संरचना की दृष्टि से झेली जाने वाली चुनौतियों को शामिल करते हुए एक मिश्रित सूचकांक तैयार किया गया है। इन ज़िलों में वामपंथ, उग्रवाद से पीड़ित वे 35 ज़िले भी शामिल हैं जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा चयनित किया गया था।

संकेतक और कार्य संपादन में सुधार के उपाय

संकेतकों में सुधार के आसान उपाय नीचे दिए गए हैं :

क) **मुख्य कार्य संपादन संकेतकों की पहचान** : प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्र में प्रगति को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण संकेतकों को चिन्हित किया गया है।

ख) **प्रत्येक ज़िले में वर्तमान स्थिति का पता लगाना और राज्य में सर्वश्रेष्ठ ज़िले की बराबरी का प्रयास करना** : ज़िले को पहले अपनी स्थिति का पता लगाना चाहिए और राज्य में सर्वश्रेष्ठ ज़िले के साथ इसकी तुलना करनी चाहिए। अंत में इसे देश का एक सर्वश्रेष्ठ ज़िला बनने का प्रयास करना है।

ग) कार्य निष्पादन को सुधारना और अन्य ज़िलों के साथ प्रतिस्पर्धा के उपाय करना।

संकेतकों में सुधार के चरण

स्वास्थ्य और पोषण

1क. संकेतक : कुल ए.एन.सी. पंजीकरण की तुलना में चार या इससे अधिक बार गर्भवती महिलाओं की जांच का प्रतिशत।

1ख. संकेतक : कुल ए.एन.सी पंजीकरण की तुलना में पहले तीन महीने के अंदर पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत।

1ग. संकेतक : गर्भवती महिलाओं की अनुमानित संख्या की तुलना में जांच और देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं (पीडब्ल्यू) का प्रतिशत

- **योजनाएं** : (1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, (2) प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, (3) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (4) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (5) पीसी एंड पीएनडीटी (गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक) अधिनियम का क्रियान्वयन (6) जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (7) जननी सुरक्षा योजना

उपाय :

- आशा सहयोगिनी द्वारा यूरीन प्रेग्नेंसी किट का उपयोग करते हुए गर्भावस्था की स्थिति का शीघ्र पता लगाने के लिए इन किट्स की उपलब्धता और परीक्षण सुनिश्चित करना।
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) स्कीम के तहत नामांकन सुनिश्चित करना (यदि पात्रता है)।
- आशा सहयोगिनी द्वारा सभी माताओं (धात्री महिला) की सहायता और निगरानी सुनिश्चित करना
- प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत माताओं (धात्री महिलाओं) का नामांकन।
- सभी ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों पर माइक्रो प्लान सुनिश्चित करना।

2. संकेतक : आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से अनुपूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत

- **योजनाएं** : (1) जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (2) जननी सुरक्षा योजना

उपाय :

- आशा सहयोगिनी द्वारा यह सुनिश्चित करना कि गर्भवती महिलाएं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पहुंचे।
- गर्भवती महिलाएं नियमित फीडिंग के साथ आयरन और फॉलिक एसिड की गोली भी खाएं यह सुनिश्चित करना।
- आशा सहयोगिनी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गांव में गर्भवती महिलाओं की सूची को सांझा करना।
- आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा एएनएम को समूह संबंधी प्रोत्साहनों के बारे में सूचित करना।

3क. संकेतक : खून की अत्यधिक कमी का उपचार करवाने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत

3ख. संकेतक : कुल एएनसी पंजीकरण की तुलना में चार या चार बार से अधिक हेमोग्लोबिन (एचबी) संबंधी जांच करवाने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत

- **योजनाएं** : (1) मदर्स एबसोल्यूट अफेक्शन (2) गृह आधारित नवजात देखभाल (3) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (4) जननी सुरक्षा योजना (5) शिशु हितैषी अस्पताल पहल (6) नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (7) जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम।

उपाय :

- खून की गंभीर कमी से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करना
- चिकित्सक की देखरेख में इंट्रावेनस आयरन देना।
- सभी गर्भवती महिलाओं को आयरन और फॉलिक एसिड की गोली अनुपूरक खुराक के रुप मे देना।

4क. संकेतक : जन्म के समय लिंगानुपात

4ख. संकेतक : कुल अनुमानित प्रसवों में से अस्पतालों में हुए प्रसवों का प्रतिशत

- **योजना/अधिनियम** : (1) जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (2) जननी सुरक्षा योजना (3) गर्भधारण–पूर्व और जन्म–पूर्व नैदानिक तकनीकों (लिंग चयन निषेध) संबंधी अधिनियम, 1994 का क्रियान्वयन

उपाय :

- जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रोत्साहन के माध्यम से चिकित्सालयों में प्रसव को बढ़ावा देना
- सरकारी अस्पतालों में सभी संस्थागत प्रसव जेएसएसके योजना के तहत लाभ के पात्र हैं। संबंधित को निःशुल्क एएनसी, सिज़ेरियन सैक्शन सहित प्रसव, निशुल्क दवाएं/नैदानिक जांच/खून और निःशुल्क परिवहन जैसे प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
- शीघ्र स्तनपान की शुरुआत सुनिश्चित करना (जन्म के 1 घंटे के अंदर)

5. संकेतक : कुल अनुमानित प्रसवों में से (स्किल्ड बर्थ अटेन्डेन्ट्स) प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता की देखरेख में हुए गृह प्रसवों का प्रतिशत।

- **योजनाएं** : (1) अंब्रैला के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं, आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास सेवाएं) (2) राष्ट्रीय आयरन प्लस प्रोत्साहन (3) राष्ट्रीय कृमि मुक्तिकरण दिवस

उपाय :

- संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन यदि गर्भवती महिला घर पर ही प्रसव कराना चाहती है तो यह एसबीए (कुशल प्रसव परिसर) प्रशिक्षित एएनएम (सहायक नर्स दाई) निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र के एमओ (चिकित्सा अधिकारी) की देखरेख में होना चाहिए
- शीघ्र स्तनपान की शुरुआत सुनिश्चित करना (जन्म के 1 घंटे के अंदर)

6क. संकेतक : जन्म के एक घंटे के अंदर स्तनपान कराए जाने वाले नवजात बच्चों का प्रतिशत

6ख. संकेतक : जन्म के समय कम वज़न वाले बच्चों का प्रतिशत (2500 ग्राम से कम)

6ग. संकेतक : उन जीवित बच्चों का अनुपात जिनका जन्म के समय वज़न किया गया था

- **योजनाएं** : (1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (2) आईएमएनसीआई (एकीकृत नवजात और बाल रोग प्रबंधन) – सुविधा और सामुदायिक (3) गहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ)

उपाय :

- सभी एएनसी (प्रसव–पूर्व जांच) पीएनसी (प्रसवोपरांत जांच) के दौरान दुग्धपान के सर्वश्रेष्ठ आचरण का परामर्श
- सभी प्रसव स्थलों पर स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा क्षमता संवर्धन के तहत स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु माताओं को परामर्श और सहायता प्रदान करना
- आईएमएस (शिशु दुग्ध विकल्प) अधिनियम का क्रियान्वयन
- कंगारू मदर केयर को प्रोत्साहित करना, चिकित्सकीय देखभाल की ज़रूरत वाले छोटे और बीमार बच्चों को एसएनसीयू (बीमार नवजात देखभाल यूनिट) और एनबीएसयू (नवजात स्थरीकरण यूनिट) में रेफर किया जा सकता है
- जन्म के समय कम वज़न वाले बच्चों की देखभाल हेतु घर–आधारित नवजात और बाल देखभाल निर्देशों का पालन
- किशोरों की पोषण संबंधी समस्या का समाधान और विलम्बित प्रथम गर्भधारण पर ध्यान देना।
- जन्म के समय वज़न दर्ज़ करने के लिए तौल मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

7. संकेतक : 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत

- **योजनाएं** : (1) अंब्रैला आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं (2) आईसीडीएस कार्यक्रम (एकीकृत बाल विकास सेवाएं) (3) पोषण पुनर्वास केन्द्र (एनआरसी)

उपाय :

- 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकरण सुनिश्चित करना
- शिशु में शारीरिक विकास संबंधी कमियों का पता लगाने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध मां बच्चा संरक्षण (एमसीपी) कार्ड में मासिक रूप से वजन दर्ज कराना
- अनुपूरक फीडिंग में सुधार के लिए बच्चों की घर आधारित देखभाल को लागू करना

8क. संकेतक : 5 वर्ष से कम आयु के विकास–अवरुद्धता से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत

8ख. संकेतक : ओआरएस से उपचारित अतिसार–पीड़ित बच्चों का प्रतिशत

8ग. संकेतक : ज़िंक से उपचारित अतिसार–पीड़ित बच्चों का प्रतिशत

8घ. संकेतक : विगत 2 सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य सुविधा हेतु लाए गए गंभीर श्वसन संक्रमण से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत

- **योजनाएं** : (1) अम्ब्रैला आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं (2) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (3) पोषण पुनर्वास केन्द्र (4) एकीकृत नवजात और बाल रोग प्रबंधन (5) मिशन इंद्रधनुष (6) घर आधारित नवजात देखभाल (7) सशर्त मातृत्व लाभ (8) मातृत्व लाभ कार्यक्रम (9) एएसएचए संबंधी प्रोत्साहन

उपाय :

- गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों (एसएएम) की चिकित्सा और पोषण संबंधी देखभाल के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्रों (एनआरसी) की स्थापना सुनिश्चित करना
- निमोनिया, अतिसार और कुपोषण को विशेष महत्व देते हुए बच्चों की सामान्य बीमारियों के शीघ्र निदान के लिए एकीकृत नवजात और बाल रोग प्रबंधन (आईएमएनसीआई) को बढ़ावा देना
- आशा सहयोगिनी द्वारा बच्चों में बीमारियों का शीघ्र पता लगाना और तत्काल रेफर करना।
- अतिसार रोग में ओआरएस और ज़िंक के उपयोग के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए गहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ) मनाना।

9क. संकेतक : गंभीर कुपोषण (एसएएम) के मामलों का प्रतिशत

9ख. संकेतक : मामूली कुपोषण (एमएएम) के मामलों का प्रतिशत

- **योजनाएं** : संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम

उपाय :

- गंभीर कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित बच्चों की नियमित जांच सुनिश्चित करना
- सशक्त पोषण पुनर्वास केन्द्र (एनआरसी) रेफरल तंत्र सुनिश्चित करना
- एनआरसी से उपचार के बाद अनुवर्ती देखभाल सुनिश्चित करना

10क. संकेतक : स्तनपान और पर्याप्त आहार प्राप्त करने वाले बच्चे (6–23 माह)

10ख. संकेतक : पर्याप्त आहार प्राप्त करने वाले लेकिन स्तनपान नहीं करने वाले बच्चे (6–23 माह)

- **योजनाएं** : (1) आयुष्मान भारत (2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

उपाय :

- 'शिशु और बाल फीडिंग' तथा 'मां का असीम स्नेह' कार्यक्रम को बढ़ावा

11. संकेतक : पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित बच्चों (9–11 माह) का प्रतिशत

- **योजनाएं** : (1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन – मिशन इंद्रधनुष

उपाय :

- टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा मां और बच्चा निगरानी प्रणाली (एमसीटीएस) का उपयोग करते हुए सूक्ष्म योजना का विकास करना
- वंचित बच्चों तक पहुंचने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन सुनिश्चित करना
- प्रतिरक्षण संबंधी कार्यकलापों में सभी क्षेत्रों को शामिल करना
- चयनित आबादी समूहों में टीकों के प्रति झिझक को दूर करना

12क. संकेतक : तपेदिक (टीबी) के अनुमानित मामलों की तुलना में तपेदिक रोगियों की अधिसूचना दर (सरकारी और निजी संस्थाओं को मिलाकर)

12ख. संकेतक : अधिसूचित तपेदिक मरीज़ों (सरकारी और निजी संस्थान) में उपचार की सफलता दर

- **योजनाएं** : (1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (2) अम्ब्रेला आईसीडीएस कार्यक्रम (3) स्वच्छ भारत

उपाय :

- रोगियों का सक्रियता पूर्वक पता लगाना और उपचार संबंधी अनुपालन सुनिश्चित करना
- निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना

13क. संकेतक : स्वास्थ्य केन्द्र एवं वेलनेस सेन्टर (एचडब्ल्यूसी) में परिवर्तित उप स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अनुपात

13ख. संकेतक : भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अनुपात

13ग. संकेतक : आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार प्रति 5,00,000 की आबादी पर एक (पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति 3,00,000 की आबादी पर एक) की तुलना में क्रियाशील एफआरयू (प्रथम रेफरल यूनिट) का अनुपात

13घ. संकेतक : 11 मुख्य विशेषज्ञ सेवाओं (महिला और बाल विशेषज्ञों सहित) की तुलना में ज़िला अस्पतालों में उपलब्ध विशेषज्ञ सेवाओं का अनुपात

13ङ. संकेतक : उन आंगनवाड़ी केन्द्रों/शहरी पीएचसी की संख्या जिन्होंने विगत एक माह में क्रमशः कम–से–कम एक ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस/शहरी स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस आयोजित करने की सूचना दी है

13च. संकेतक : अपने भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों का अनुपात

13छ. संकेतक : प्रमाणित (अर्थात् लक्ष्य दिशानिर्देशों को पूरा करने वाली) प्रसूति कक्ष और प्रसूति ओटी वाली प्रथम रेफरल यूनिट (एफआरयू) का प्रतिशत

- **योजनाएं** : (1) अम्ब्रैला आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं (2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

उपाय :

- भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों का उपयोग करते हुए आधारभूत संरचना एंव एच आर सुविधाओं का विस्तार।
- अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण एंव संरचना हेतु दिशा निर्देश।
- विस्तृत आपातकालीन प्रसूति देखभाल (सीईएमओसी) के लिए ज़िलों द्वारा प्रथम रेफरल यूनिट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- बहु–विशेषज्ञता देखभाल और प्रशिक्षण स्थलों के रूप में ज़िला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण।
- लक्ष्य आधारित कार्यनीति के माध्यम से जन्म के आसपास देखभाल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण तथा प्रसूति कक्ष और एसएनसीयू की कार्यप्रणाली में सुधार।
- आकांक्षी ज़िलों में जून 2018 तक आयुष्मान भारत के तहत प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य और वेलनेस केन्द्रों की स्थापना करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में अनिवार्य दवाओं और नैदानिक जांचों की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा एएसएचए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच अभिसरण में सुधार लाना।
- मज़बूती से निगरानी : साक्ष्य आधारित कार्रवाई के लिए डेटा का उपयोग – विशेषकर हेल्थ मेनेजमेन्ट इन्फोर्मेशन सिस्टम के तहत तैयार किए गए मानक स्वास्थ्य अंक कार्ड का प्रयोग करते हुए कम कार्य निष्पादन करने वाले ब्लॉक्स को चिन्हित करने हेतु एचएमआईएस (स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली) डेटा का उपयोग।

शिक्षा

1क. संकेतक : प्राथमिक (कक्षा 5) से उच्च प्राथमिक (कक्षा 6) में जाने की दर

- **योजना** : एसएसए (सर्व शिक्षा अभियान)

उपाय :

- सभी विद्यालयों में कक्षा 5 के विद्यार्थियों की संख्या का आंकलन।
- कक्षा 5 में विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए ज़िले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीटों की उपलब्धता का आंकलन करने हेतु ज़िला शिक्षा अधिकारी शिक्षकों को निर्देश देंगे।
- सीटों की उपलब्धता के बारे में माता–पिता को सूचित करें ताकि विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई न छोड़ दें।
- यदि कोई विद्यार्थी स्कूल छोड़ देता है तो कक्षा 5 के शिक्षक को उनके घर पर जाना चाहिए और उन्हें कक्षा 6 में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- ज़िला कलेक्टर द्वारा इस पारगमन (ट्रान्जीशन) की मॉनीटरिंग की जाए और अच्छा कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाए।

1ख. संकेतक : उच्च प्राथमिक (कक्षा 8) से माध्यमिक (कक्षा 9) में जाने की दर

- **योजनाएं** : (1) एसएसए (सर्व शिक्षा अभियान), (2) आरएमएसए (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)

उपाय :

- सीटों की पहचान के लिए उठाए गए कदमों की तरह माध्यमिक विद्यालयों में भी कक्षा 8 और 9 के लिए कार्य करना।
- विद्यालयों की लेखाजांच करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की अपेक्षाओं को पूरा करने योग्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे – विद्यालय जाने वाली बालिकाओं की सुरक्षा, रजोनिवृत्ति संबंधी समुचित सुविधाएं, व्यावसायिक कौशल की शुरुआत आदि।

2. संकेतक : शौचालय सुविधा : सक्रिय कन्या शौचालयों वाले विद्यालयों का प्रतिशत

- योजनाएं : (1) एसएसए (सर्व शिक्षा अभियान), (2) आरएमएसए (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)

उपाय :

- शौचालयों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए पंचायती राज विभाग के तहत सेवाओं और निधियों (फन्ड्स) का समायोजन ज़िला कलेक्टर करेंगे। इस संबंध में भारत सरकार पहले ही सलाह जारी कर चुकी है।
- अभिसरण हेतु ज़िला कलेक्टर (डीसी) स्वच्छ भारत कोष (वित्त मंत्रालय) के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए निधि प्राप्त करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेज सकते हैं।
- रजोनिवृत्ति के दौरान उचित देखरेख हेतु अभिनव तौर–तरीकों का प्रयोग करना। स्थानीय स्तर पर सैनिटरी नैपकिन तैयार करने से जुड़े कई सर्वोत्तम कार्य–व्यवहार प्रचलन में हैं।

3. संकेतक : सक्रिय पेयजल सुविधाओं वाले विद्यालयों का प्रतिशत

उपाय :

- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने दिनांक 15.03.2018 के अपने पत्र द्वारा सभी आकांक्षी ज़िलों में पाईपयुक्त जलापूर्ति के प्रावधान को मंजूरी दी है। ज़िला कलेक्टर को राज्य/ज़िले के संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सभी विद्यालयों में पाईपयुक्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

4. संकेतक : शैक्षिक परिणाम

क) कक्षा 3 में गणित में परफोर्मेन्स
ख) कक्षा 3 में भाषा में परफोर्मेन्स
ग) कक्षा 5 में गणित में परफोर्मेन्स
घ) कक्षा 5 में भाषा में परफोर्मेन्स
ङ) कक्षा 8 में गणित में परफोर्मेन्स
च) कक्षा 8 में भाषा में परफोर्मेन्स

- योजनाएं : (1) एसएसए (सर्व शिक्षा अभियान), (2) सीएसएसटीई (अध्यापक शिक्षा संबंधी केंद्र प्रायोजित स्कीम)

उपाय :

- एनसीईआरटी की वेबसाइट के होमपेज पर नेशनल अचीवमेंट सर्वे–2017, पर क्लिक करके ज़िले की प्रगति का अध्ययन करना। यहां ज़िले का रिपोर्ट कार्ड प्रदर्शित किया जाता है।
- शैक्षिक परिणामों की पहचान करना जिसके लिए विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
- शिक्षक प्रशिक्षण हेतु ज़िला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) अथवा ज़िले में किसी अन्य प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठन (एन जी ओ) से संपर्क करना।
- कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराना। यह शिक्षण कार्य विद्यालय समय के पश्चात किया जा सकता है।
- यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय समय पर खुलें, कक्षा अध्यापक मौजूद रहें और पढाएं भी।
- शिक्षण परिणामों में सुधार हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति, महिला स्वयं–सहायता समूहों तथा ग्राम पंचायतों का सहयोग प्राप्त करना।
- विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को आनंददायी और आकर्षक बनाने हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित करना।

5. संकेतक : महिला साक्षरता (15 वर्ष से अधिक)

- **योजना** : प्रौढ़ शिक्षा योजना

उपाय :

- शिक्षित लोगों की पहचान करना, जैसे– राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरु युवा केन्द्र के स्वयंसेवी, सेवानिवृत्त सरकारी तथा अन्य व्यक्ति, होम मेकर्स आदि जो पढ़ाने के लिए इच्छुक और स्वप्रेरित हों।
- प्रत्येक टीम में ऐसे 10 व्यक्तियों को शामिल करना जिनका नेतृत्व ऐसा शिक्षक करे जिसने प्रौढ़ शिक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। ज़िला शिक्षा अधिकारी ऐसे शिक्षकों को पहचानने में मदद करेगा।
- महिला स्वयं–सहायता समूहों, ग्राम पंचायत, आईसीडीएस कर्मचारियों, आशा सहयोगिनी या अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग लेना।
- अध्यापन के लिए अभिनव तौर–तरीकों का विकास करना, जैसे संगीत और नाटक का उपयोग।

6. संकेतक : विद्युत सुविधायुक्त माध्यमिक विद्यालयों का प्रतिशत

उपाय :

- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 99.8 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। ज़िले के विद्युतीकृत गांवों में स्थित समस्त माध्यमिक विद्यालयों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

7. संकेतक : आरटीई द्वारा दर्शाए गये छात्र–शिक्षक अनुपात वाले प्रारंभिक विद्यालयों का प्रतिशत

- **योजना** : एसएसए (सर्व शिक्षा अभियान)

उपाय :

- ज़िला कलेक्टर द्वारा ज़िला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जायेगा के वे ऐसे प्रारंभिक विद्यालयों की सूची तैयार करें जिनमें आरटीई मानदंडों के अनुसार शिक्षकों की संख्या ज़्यादा अथवा कम है।
- ज़िले के भीतर शिक्षकों की पुनर्तैनाती करें ताकि अधिकतर विद्यालयों में आरटीई मानदंडों के अनुरुप अपेक्षित संख्या में शिक्षक लगाये जा सकें।
- ज़िलाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षक विद्यालयों में नियमित रूप से आएं और कोई फर्ज़ी शिक्षक न दिखाया जाए।

8. संकेतक : शिक्षा सत्र शुरु होने के 1 माह के भीतर बच्चों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने वाले विद्यालयों का प्रतिशत

- **योजना** : एसएसए (सर्व शिक्षा अभियान)

उपाय :

- विद्यालय सत्र के अंत में, प्रत्येक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में बुक बैंक तैयार करने के लिए यथासंभव पाठ्यपुस्तकें वापस एकत्रित की जाएं।
- यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों को सौंपा जाना चाहिए। ये पाठ्यपुस्तकें बच्चों को अगले सत्र में वितरित की जा सकती हैं।
- ज़िला कलेक्टर को राज्य सचिव, शिक्षा विभाग से यह सुनिश्चित करने के लिए बात करनी चाहिए कि उनके ज़िले में सभी प्रारंभिक विद्यालयों में नई पाठ्यपुस्तकें समय पर पहुंच जाएं।

आधारभूत सुविधाऐं

1. संकेतक : पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता वाली ग्रामीण बस्तियों का प्रतिशत (ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 40 लीटर)

- **योजनाएं** : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

उपाय :

- पेयजल हेतु अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने के लिए जल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- जल की कमी वाले इलाकों में वर्षाजल संरक्षण तथा भूजल पुनर्भरण के माध्यम से जल संधारण सुनिश्चित करना।
- मौजूदा पेयजल योजनाओं का संचालन और अनुरक्षण सुनिश्चित करना।।
- प्रस्तावित लक्ष्य को देखते हुए स्वीकृत योजनाओं की संख्या।
- लक्ष्य के अनुरुप पूरी की जा चुकी योजनाओं की संख्या।

2. संकेतक : घरेलू शौचालय युक्त परिवारों का प्रतिशत

- योजना : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

उपाय :

- प्रशिक्षित मिस्त्री और प्लम्बर की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- शौचालय निर्माण हेतु निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- शौचालयों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- प्रस्तावित लक्ष्य की तुलना में, स्वीकृत पारिवारिक शौचालयों की संख्या
- लक्ष्य की तुलना में निर्मित शौचालयों की संख्या

3. संकेतक : आश्रयहीन अथवा कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले एक कमरे में रह रहे परिवारों या कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले 2 कमरों में रह रहे परिवारों के लिए निर्मित पक्के मकानों की संख्या

- **योजना** : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

उपाय :

- आवासन हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- प्रशिक्षित मिस्त्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- आवासों के निर्माण हेतु कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- प्रस्तावित लक्ष्य की तुलना में स्वीकृत आवासों की संख्या
- लक्ष्य की तुलना में पूरे किए गए आवासों की संख्या

4. संकेतक : बिजली सुविधायुक्त परिवारों का प्रतिशत

उपाय :

- चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना
- विद्युत आपूर्ति पर नजर रखने के लिए फीडर मॉनीटरिंग का उपयोग करना
- फीडर मॉनीटरिंग व्यवस्था को स्वचालित और ऑनलाइन किया जाएगा

5क. संकेतक : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बारहमासी सड़क सुविधा वाली बस्तियों का प्रतिशत

5ख. संकेतक : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ज़िले में कुल स्वीकृत किलोमीटर सड़कों में से पूर्ण हो चुके बारहमासी सड़क कार्यों के संचयी किलोमीटर की संख्या प्रतिशत के रूप में

- **योजना** : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

उपाय :

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति पर नज़र रखने के लिए ज़िलाधिकारी (डीसी) अलग से बैठक करेंगे।
- ज़िलाधिकारी की निगरानी में परियोजना को शीघ्रता से प्रारम्भ करना।

6. संकेतक : इंटरनेट कनेक्शन युक्त ग्राम पंचायतों का प्रतिशत।

उपाय :

- कोन्ट्रेक्ट के अनुसार कार्य पूर्ण करने के लिए अंतिम समय–सीमा निर्धारित करना।

7. संकेतक : ग्राम पंचायत स्तर पर कोमन सर्विस सेन्टर की स्थापना और उसे पूर्ण कवरेज देना।

उपाय :

- कोमन सर्विस सेन्टर की स्थापना के लिए ग्राम स्तर पर उद्यमियों को प्रोत्साहित करना।

वित्तीय समावेशन

1. संकेतक : प्रति 1 लाख की आबादी पर मुद्रा ऋण (रुपये में) का सकल वितरण

- **योजना** : प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।

उपाय :

- सभी शाखाओं में नोडल अधिकारी सुनिश्चित करना।
- सभी शाखाओं में मुद्रा प्रतीक–चिन्ह (लोगो) बोर्ड सुनिश्चित करना।
- बैंकिंग सेवा केंद्रों और खासकर बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट नेटवर्क की संख्या बढ़ाना।
- ऋण आवेदनों को भरने में सहायता के लिए प्रत्येक ब्लॉक में क्षेत्रीय गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करना और स्वयंसेवकों को नामित करना।
- मुद्रा ऋण आवेदन न देने के कारण का पता लगाना।
- ऋण आवेदनों का समय पर निपटारा करना।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए www.udyamimitra.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदनों की सुविधा प्रदान करना।
- मुद्रा डेबिट कार्ड को अपनाने और उपयोग करने के लिए जागरुकता बढ़ाना और प्रोत्साहित करना।

2. संकेतक : प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत प्रति 1 लाख आबादी पर खोले गए खातों की संख्या।

- **योजना** : प्रधानमंत्री जन–धन योजना।

उपाय :

- ज़िला–स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति (डीएलआईसी) को सक्रिय कर सुव्यवस्थित निगरानी करना।
- कॉल सेंटर्स की स्थापना और टोल–फ्री नम्बरों की शुरुआत।
- खाते खोलने के लिए आधार–समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) का उपयोग।
- खाते चेलेन्ज मोड में खोले जाएं।

3. संकेतक : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : प्रति 1 लाख आबादी पर नामांकनों की संख्या।

- **योजना** : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।

उपाय :

- दावा निपटाने की प्रक्रिया को सरल बनाना और न्यूनतम दस्तावेज़ी अपेक्षा सुनिश्चित करना
- राशि को दावेदार/मनोनीत व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित करने की सुविधा प्रदान करना
- बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए सक्षम बनाना।

- योजना को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), मुद्रा ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और अन्य ऋणों के साथ जोड़ना

4. संकेतक : प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : प्रति 1 लाख आबादी पर नामांकनों की संख्या

- **योजना** : प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

उपाय :

- दावा निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना और न्यूनतम दस्तावेज़ी अपेक्षा सुनिश्चित करना
- राशि को दावेदार/नामित व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित करने की सुविधा प्रदान करना
- बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए सक्षम बनाना
- योजना को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), मुद्रा ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और अन्य ऋणों के साथ जोड़ना

5. संकेतक : अटल पेंशन योजना (एपीवाई) : प्रति 1 लाख आबादी पर लाभार्थियों की संख्या

- **योजना** : अटल पेंशन योजना

उपाय :

- सभी बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट को एपीवाई पेंशन उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु सक्षम बनाना
- प्रपत्रों को हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण सहित क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना
- छोटे उद्योगों और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को लक्षित करना
- पेंशन से वंचित लोगों को पेंशन प्रदान करने के लिए स्थानीय व्यापार समितियों (व्यापारी व्यवसाय मंच) का उपयोग करना

6. संकेतक : कुल बैंकिंग खातों के प्रतिशत के रूप में आधार के साथ जोड़े गए खातों का प्रतिशत

उपाय :

- बैंक में आधार को खातों से जोड़ने के लिए बैनर लगाएं
- बैंक शाखाओं में आधार नामांकन केन्द्र को चालू किया जाए
- बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाए
- बैंक शाखाओं/बीसी में ई–केवाईसी के माध्यम से अधिक सेवाएं प्रदान की जाए

कौशल विकास

1. संकेतक : अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण योजना में प्रमाणिक युवकों की संख्या ज़िले में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवकों की संख्या

- **योजना** : (1) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), (2) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई)

उपाय :

- 2011 की जनगणना के आधार पर ज़िले में युवा आबादी का अनुमान लगाना और उनके प्रशिक्षण के लिए सर्वाधिक लक्ष्यों का निर्धारण करना
- कौशल विकास मेलों और सामुदायिक भागीदारी के ज़रिए युवाओं की अपेक्षाओं का पता लगाना और उसके अनुरूप उन्हें आजीविका परामर्श देना
- हार्ड और सॉफ्ट आधारभूत सरंचना (मानव संसाधन सहित) सहित प्रशिक्षण संरचना का जायज़ा लेना
- समय पर मुल्यांकन और प्रमाणन सुनिश्चित करना

- कौशल मेलों के आयोजन के लिए स्थानीय विधायक और सांसद कोष का उपयोग करना और कौशल श्रेणी में 'चैम्पियन्स ऑफ चेंज' पुरस्कार की शुरुआत करना
- मनोनीत टीम के माध्यम से नियमित निगरानी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विद्यार्थियों की उपस्थिति, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता और आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता बनी रहे

2. संकेतक : प्रमाणिक और नियोजित युवाओं की संख्या/अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षित युवाओं की संख्या

- **योजना** : (1) पीएमकेवीवाई (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना), (2) डीडीयूजीकेवाई (दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना)

उपाय :

- लक्ष्य यह सुनिश्चित करने का है कि प्रमाणपत्र धारी प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें
- ज़िलेवार कौशल मैपिंग, ताकि मांग और आपूर्ति एक समान रहे
- स्थानीय उद्योग की मांग के अनुसार, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सुसंगत कोर्स/ट्रेड की सुनिश्चित करना
- प्रशिक्षण के अनिवार्य अंग के रूप में सॉफ्ट स्किल और मूल रुप से आईसीटी प्रशिक्षण सुनिश्चित करना
- पाठ्यक्रम निर्धारण में स्थानीय उद्योगों को शामिल करना और उन्हें प्रशिक्षण के लिए स्थान उपलब्ध कराने को प्रोत्साहित करना
- रोजगार मेले आयोजित करना और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करना ताकि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को कैंपस प्लेसमेंट दिया जा सके
- प्लेसमेंट के बाद एक वर्ष तक विद्यार्थियों पर नज़र रखना

3. संकेतक : प्रशिक्षण पूरा करने वालों की संख्या/पोर्टल पर पंजीकृत प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या

- **योजना** : (1) एनएपीएस (राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षुता प्रोत्साहन स्कीम), (2) एनएटीएस (राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम)

उपाय :

- स्थानीय उद्योगों की पहचान करना जो प्रशिक्षणार्थियों को ले सकते हैं
- आईटीआई और अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों को उद्योग से जोड़ना
- प्रशिक्षणार्थियों के पंजीकरण हेतु स्थानीय चेम्बर ऑफ कामर्स का उपयोग
- प्रशिक्षणार्थियों को काम पर रखने वाले स्थानीय उद्योग को नकद पुरस्कार अथवा मान्यता देकर प्रोत्साहित करना
- सीएससी केंद्रों का उपयोग और अनुभवी सलाहकारों की नियुक्ति कर प्रशिक्षणार्थियों के पंजीकरण को आसान बनाना
- डीबीटी (डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से वजीफे का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना

4. संकेतक : मान्यता प्राप्त पूर्व–शिक्षण प्रमाण पत्र धारी व्यक्तियों की संख्या/अनौपचारिक तौर पर कुशल कार्यबल

- **योजना** : पीएमकेवीवाई (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना)

उपाय :

- लक्ष्य यह है कि अनौपचारिक रूप से कुशल कार्यबल के रोजगार की संभावना बेहतर हो
- ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जो अनौपचारिक रूप से प्रशिक्षित कामगारों को नियोजित करते हैं, और ऐसे कामगारों का डेटाबेस तैयार करना

- आरपीएल (पूर्व–शिक्षा की मान्यता) के माध्यम से प्रमाणपत्र प्राप्त कामगारों की संख्या के लिए सर्वाधिक लक्ष्य निर्धारित करना और चिन्हित क्षेत्रों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए पीएमकेवीवाई के तहत निर्धारित लक्ष्य से उनकी तुलना करना
- गतिशीलता और परामर्श के लिए आरपीएल सलाहकारों की नियुक्ति करना तथा अभ्यर्थियों को मूल्यांकन के लिए तैयार करना
- आरपीएल प्रमाणित कामगारों को पुरस्कार राशि का भुगतान समय पर सुनिश्चित करना
- ब्रिज पाठ्यक्रम के दौरान हुए वेतन के नुकसान को पूरा करके कामगारों को प्रमाणपत्र लेने के लिए प्रोत्साहित करना
- त्वरित आकलन और प्रमाणन सुनिश्चित करना
- ऐसे कामगारों को वेतन के अंतर पर नियोजित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करना

5. संकेतक : अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाणित कमज़ोर/वंचित वर्ग के युवाओं की संख्या

क) महिलाएं – प्रमाणित प्रशिक्षणप्राप्त

ख) एससी – प्रमाणित प्रशिक्षणप्राप्त

ग) एसटी – प्रमाणित प्रशिक्षणप्राप्त

घ) ओबीसी – प्रमाणित प्रशिक्षणप्राप्त

ङ) अल्पसंख्यक – प्रमाणित प्रशिक्षणप्राप्त

च) अन्यरूपेण सक्षम – प्रमाणित प्रशिक्षणप्राप्त / प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र प्राप्त युवाओं की कुल संख्या

- **योजना** : (1) पीएमकेवीवाई (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना), (2) डीडीयूजीकेवाई (दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (3) अल्पसंख्यक, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास विभाग और निःशक्तता विभाग की योजनाएं

उपाय :

- 15 से 29 वर्ष आयु समूह की जनसंख्या में से इन वंचित वर्गों की युवा जनसंख्या को अलग से चिन्हित करना
- जागरुकता और परामर्श के लिए समुदायों और पंचायतों को शामिल करना (उदाहरण के लिए कौशल सखी मॉडल, महाराष्ट्र)
- बाधा रहित प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- वंचित वर्गों के स्थानीय पारंपरिक व्यवसायों (उदाहरण के लिए जनजातीय कला/पारंपरिक हस्तशिल्प) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्किल मेपिंग

कृषि

1. संकेतक : जल सकारात्मक निवेश और रोजगार

1.1. संकेतक : सूक्ष्म सिंचाई के तहत शुद्ध रूप से बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत

- **योजना** : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

उपाय :

- ज़िला सिंचाई योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना
- सूक्ष्म सिंचाई के लिए संभावित क्षेत्र की पहचान सुनिश्चित करना और लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देना
- ज़िले के लिए पीएमकेएसवाई सूक्ष्म–सिंचाई के साथ फंड्स को जोड़ना
- बैंकों से ऋणों को जोड़ने संबंधी कार्य को अंतिम रूप देना

1.2. संकेतक : मनरेगा के तहत पुर्ननवीनीकृत जलाशयों में जल बढ़ोत्तरी का प्रतिशत

- **योजना** : मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम)

उपाय :

- मनरेगा के तहत जल संबंधी कार्यकलापों की प्राथमिकता सुनिश्चित करना
- परियोजनाओं और जल निकायों के स्थान निर्धारण के लिए पंचायतों की बैठकें सुनिश्चित करना
- परियोजनाओं की समय पर तकनीकी और प्रशासनिक मंजूरी सुनिश्चित करना
- मनरेगा के साथ फंड्स को जोड़ना सुनिश्चित करना

2. संकेतक : फसल बीमा – शुद्ध बुवाई क्षेत्र का प्रतिशत

- **योजना** : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

उपाय :

- ज़िला कलेक्टर द्वारा पीएमएफबीवाई योजना के तहत फसलों की अधिसूचना जारी करना और इसका प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना
- ज़िला बीमा एजेंसियों और बैंकों की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करना
- बीमा एजेंसियों को पंचायत स्तरीय डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- फसल कटाई संबंधी प्रयोग में बीमा एजेंसियों की भागीदारी सुनिश्चित करना
- फसल नुकसान का समय पर मूल्यांकन सुनिश्चित करना
- प्रत्येक आरआरबी शाखा में किसानों के लिए सुविधा केंद्रों की स्थापना सुनिश्चित करना
- पिछले दावों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना

3. संकेतक : महत्वपूर्ण इनपुट खपत और आपूर्ति में बढ़ोत्तरी

3.1. संकेतक : कृषि ऋण में बढ़ोत्तरी का प्रतिशत

- **योजना** : अल्प–अवधि फसल ऋण के लिए ब्याज अनुदान योजना

उपाय :

- नाबार्ड की ज़िला क्रेडिट लिंक योजना का संचालन
- यह सुनिश्चित करना कि ज़िला स्तरीय बैंकर्स कमेटी की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं
- बैंकों के साथ पीएसीएस (प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी) का एकीकरण सुनिश्चित करना
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जन जागरुकता अभियान चलाना सुनिश्चित करना
- तिमाही प्रगति समीक्षा आयोजित करना

3.2. संकेतक : प्रमाणित गुणवत्ता के बीजों का वितरण

- **योजना** : (1) कृषि उन्नति योजना (2) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), (3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) (4) राष्ट्रीय तिलहन और ताड़ का तेल संबंधी मिशन (एनएमओओपी)

उपाय :

- ज़िले में बीज योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना
- सार्वजनिक और निजी एजेंसी में बीजों की उपलब्धता का आंकलन
- निजी और सार्वजनिक बीज वितरकों के साथ बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करना
- बीज की कमी होने पर पर्याप्त उपलब्धता हेतु राष्ट्रीय/राज्य निगमों के साथ संपर्क स्थापित करना
- ब्लॉक स्तरीय इकाइयों में बीजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना
- भारत सरकार/राज्य सरकार के कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध बीज पर प्रोत्साहन के लिए जागरुकता सुनिश्चित करना

4. संकेतक : ई–नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई–एनएएम) से जुड़ी हुई ज़िला मंडियों में लेनदेन की संख्या

• **योजना** : (1) ई–राष्ट्रीय कृषि बाज़ार

उपाय :

- मंडी को यदि एपीएमसी (कृषि उत्पाद संबंधी बाज़ार समिति) से नहीं जोड़ा गया हो, तो ई–एनएएम के माध्यम से उसे जोड़ना सुनिश्चित करना
- एपीएमसी मंडी में मूल्यांकन, श्रेणीकरण और भंडारण सुविधा सुनिश्चित करना
- एपीएमसी मंडी में किसानों के पंजीकरण को सुनिश्चित करना
- यह सुनिश्चित करना कि इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफॉर्म कार्य कर रहा है
- मंडी में मूल्य (प्राइज़) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्शाना सुनिश्चित करना
- यह सुनिश्चित करना कि जागरुकता पैदा करने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं

5. संकेतक : विक्रय मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, जिसे खेत फसल लागत (एफएचपी) और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है

• **योजना** : (1) एकीकृत कृषि प्रबंधन स्कीम (2) मूल्य समर्थन स्कीम (3) न्यूनतम समर्थन मूल्य

उपाय :

- फसल काटने संबंधी प्रयोगों के आधार पर संभावित बाज़ार अधिशेष का मूल्यांकन सुनिश्चित करना
- ज़िले में नए खरीद केंद्रों की स्थापना सुनिश्चित करना
- खरीदी गई उपज के भण्डारण के लिए मालगोदामों की पहचान सुनिश्चित करना
- प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से उत्पादकों को तुरंत भुगतान सुनिश्चित करना

6. संकेतक : ज़िले में कुल बोए गए क्षेत्र में उच्च मूल्य फसल के हिस्से का प्रतिशत

• **योजना** : एकीकृत बागवानी विकास मिशन

उपाय :

- गुणवत्तापूर्ण बीज और पौधरोपण सामग्री वाली पौधशालाओं की पहचान सुनिश्चित करना
- बागवानी के कवरेज के लिए ब्लॉक और गांवों का चिन्हिकरण सुनिश्चित करना
- ब्लॉक स्तरीय बीज वितरण केंद्रों पर बीज और पौधरोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- नए समेकन केंद्रों, शीत भंडारगृहों, पकाने हेतु चेम्बर्स की स्थापना सुनिश्चित करना

7. संकेतक : दो प्रमुख फसलों की कृषि उत्पादकता

• **योजना** : कृषि मंत्रालय की योजनाओं का कैफेटेरिया

उपाय :

- चावल और गेहूं की बुवाइ के मौसम से पहले एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के बारे में व्यापक अभियान शुरु करना
- किसानों की मांग के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को तैयार करना
- फसल मौसम के दौरान नहर प्रणाली में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- उर्वरक और बीज किसानों को घर पर उपलब्ध कराना
- ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना
- नकली कीटनाशकों की बिक्री को रोकना
- केसीसी नेट के तहत और अधिक किसानों को लाना

8. संकेतक : पशुओं के टीकाकरण का प्रतिशत

• **योजना** : पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण स्कीम

उपाय :

- पशु चिकित्सा विभाग में टीकों की मांग का आंकलन
- आपूर्तिकर्ताओं को चिन्हित कर उन्हे आर्डर जारी करना
- पशु चिकित्सालयों की ब्लॉक और सब–ब्लॉक इकाइयों में टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरुकता अभियान
- फील्ड स्तर पर आपूर्ति के लिए बीएआईएफ और अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क सुनिश्चित करना

9. संकेतक : कृत्रिम गर्भाधान कवरेज

- **योजना** : राष्ट्रीय आजीविका मिशन

उपाय :

- कृत्रिम गर्भाधान के लिए उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना
- कृत्रिम गर्भाधान के लिए बीएआईएफ और अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क सुनिश्चित करना
- कृत्रिम गर्भाधान के लिए फील्ड स्टॉफ को लगाना सुनिश्चित करना
- ज़िले में वीर्य बैंक उपलब्ध नहीं होने पर, अन्य वीर्य बैंकों के साथ संपर्क सुनिश्चित करना

10. संकेतक : प्रथम दौर की तुलना में दूसरे दौर में वितरित किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या

- **योजना** : मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम

उपाय :

- मृदा नमूनों को एकत्र करने में सहायता के लिए प्रत्येक गांव में अग्रणी किसानों की पहचान करना
- यह सुनिश्चित करना कि सभी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं (एसटीएल) कार्य कर रही हैं
- मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में प्राथमिकता आधार पर तकनीकी कार्मिकों का नियोजन
- यदि सरकारी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं पर्याप्त नहीं हैं तो मृदा नमूनों के विश्लेषण के लिए निजी प्रयोगशालाओं की सेवाएं लेना सुनिश्चित करना
- मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में जल और बिजली की आपूर्ति को सुधारना